न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 90 / 2007 दायर दिनांक :—09.07.2007

उनवान

1. बाबूलाल आयु 55 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
2. रामकरण आयु 36 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
3. छोटूलाल आयु 34 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
4. ओमप्रकाश आयु 32 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
5. बृजमोहन आयु 30 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
6. पाना बाई पत्नि स्व० मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
7. सीता बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि रामरतन जाति माली निवासी डोबड़ा तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज०)
8. समुद्रा बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि देवलाल जाति माली निवासी मोई कला तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)
9. सहोदरा बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि जगदीश जाति माली निवासी धाकड़ों का मोहल्ला बारां जिला बारां (राज०)
10. लक्ष्मी बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि रामरतन जाति माली निवासी बम्बोरी घाटा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)
11. पारवती बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि मन्नालाल पत्नि रामचन्द्र जाति माली निवासी मोई कला तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. राजूलाल पुत्र नन्दा जाति सहरिया निवासी नारेड़ा तहसील बारां जिला बारां
2. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति सहरिया निवासी नारेड़ा (मृतक)

2/1 शारदा उर्फ रसीदा पत्नि स्व० बाबूलाल जाति सहरिया निवासी जगदीशपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

2/2 रक्षित पुत्र बाबूलाल नाबालिग जर्ये वली माता शारदा उर्फ रसीदा पत्नि स्व० बाबूलाल जाति सहरिया निवासी जगदीशपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

3. कमला बाई पुत्री नन्दा पत्नि गुलाबचन्द जाति सहरिया निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. सन्तोष बाई पुत्री नन्दा पत्नि गंगाराम जाति सहरिया निवासी सोनी दीलोद तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0 टी0 एक्ट</u>

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन प्रतिवादी क्रम 1 व 2
विद्वान अभिभाषक श्री ब्रदीलाल नागर प्रतिवादी क्रम 2/1 ता 2/2
विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर गोयल प्रतिवादी क्रम 3 व 4

निर्णय दिनांक :– 27.11.2025

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि यह कि मोजा माल बानपुर तहसील अटरू में स्थित खसरा नंबर 734/169 रकबा 4 बीघा, 735/169 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 436/169 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 170 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 436 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, जिसके संवत् 2012 में सेटलमेंट के पश्चात नए नंबर कमशः खसरा नंबर 290 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नंबर 320 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा डले हैं। वर्तमान सेटलमेंट में नए नंबर 302 रकबा 1.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 494 रकबा 1.86 हैक्टेयर बनाए गए हैं। उक्त आराजियात कजोड़ सहर मोठपुर के खाते में दर्ज है। परंतु इस जमीन पर वादीगण के पिता व पति मन्नालाल सन् 1949 से जेली काश्त के रूप में दर्ज चले आ रहे हैं। उनका कब्जा, जब तक वह जीवित रहे, विवादित भूमि पर चला आ रहा है। लगान भी मन्नालाल जी अदा करते आ रहे हैं। उनकी

मृत्यु के बाद वादीगण के कब्जे काश्त में विवादित भूमियां चली आ रही है। कजोड़ की मृत्यु के बाद नंदा व बंशी के नाम दर्ज खाता हुआ। बंशी लाऔलाद मर चुका है। नंदा के प्रतिवादीगण 1 ता 5 वारिसान है। जो अपनी सकूनत तर्क करके ग्राम नारेड़ा में रहते हैं। प्रतिवादीगण का विवादित भूमियों पर सन् 1949 के बाद आज तक भी विवादित आराजियात पर कब्जा नहीं रहा। इस कारण धारा 63 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अनुसार भी प्रतिवादीगण 1 ता 5 के हकूक समाप्त हो चुके हैं। मन्नालाल माली तथा उनकी मृत्यु के बाद विवादित भूमियों पर वादीगण खुले तौर पर शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में चले आ रहे हैं। सन् 1949 से लगातार अब तक भी उनके कब्जे को कभी चुनौती नहीं दी गई। इसलिए बाई आपरेशन आफ लॉ कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण विवादित भूमियात पर खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है तथा इस हेतु यह वाद पेश करते हैं। प्रतिवादीगण की यह भलि–भांति जानकारी में है कि वादीगण का विवादित भूमियों पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। फिर भी प्रतिवादीगण 1 ता 5 कब्जे बाबत् मदाखलत करने के प्रयास में रहते हैं। बिना माननीय न्यायालय की मदद के उनको उनके द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कृत्यों से रोका जाना संभव नहीं है। अस्तु वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण 1 ता 5 स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विवादग्रस्त भूमियात में किसी तरह की मदाखलत व मजाहिम्मत ना करें। प्रतिवादी नंबर 6 भूमिधारी है। वाद घोषणा का है, अतः उसे पक्षकार बनाया गया है। वादीगण द्वारा दिनांक 21.08.04 को नोटिस धारा 80 सी०पी०सी० का दिया गया है। नोटिस की अवधि समाप्त नहीं हुई है। परंतु मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की मियाद समाप्त होने से पूर्व ही वाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है। धारा 80(2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पृथक से पेश है। वाद पेश करने की अनुमति दी जावे। वाद कारण दिनांक 01.07.04 को बमुकाम बानपुर तहसील अटरू में उत्पन्न हुआ। जब प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजी को जबरन कब्जा करने की धमकियां दी। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के थर्ड परिशिष्ठ के अनुसार निश्चित कोर्ट फीस पर पेश है। जो कि माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। विवादित भूमियात वाके ग्राम बानपुर तहसील अटरू में स्थित है। पक्षकारान भी माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में निवास करता है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की डिकी सादिर फरमाई जावे–

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित विवादित आराजी जिसका नया खसरा नंबर 302 एवं 494 है, का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित फरमाते हुए उक्त आशय का इंद्राज राजस्व रिकार्ड में किए जाने का आदेश प्रदान करें।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण 1 ता 5 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को विवादित आराजियात से बेदखल न करे न ही किसी प्रकार की मदाखलत करें।

(स) यह कि अन्य न्यायौचित सहायता, जो माननीय न्यायालय परिस्थिति में उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

वादी ने वाद पत्र के साथ खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2005–2008 (प्रदर्श–P1), खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2001–2004 (प्रदर्श–P2), खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2001–2004 (प्रदर्श–P3), खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2009–2011 (प्रदर्श–P4), खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2009–2011 (प्रदर्श–P5), नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग ग्राम बानपुर (प्रदर्श–P6), खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2005–2008 (प्रदर्श–P7) आदि दस्तावेज पेश किए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवादी पत्र पेश कर कथन किया गया कि वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी माल बानपुर तहसील अटरू में होना स्वीकार है लेकिन उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में होना स्वीकार नही है। वाद पत्र का मद नं0 2 का विवरण जिस तरह से दर्ज किया गया है स्वीकार नही है क्योकि प्रतिवादीगण द्वारा कोई सकूनत तर्क नही की है। वाद पत्र का मद नं0 3 जिस तरह से दर्ज किया गया है स्वीकार नही है क्योकि उक्त आराजी प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादीगण अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जिनके स्वामित्व की आराजी पर कब्जे धारी को भी कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। वाद पत्र का मद नं0 4 स्वीकार नही है क्योंकि वादीगण को किसी प्रकार से कानूनी तौर पर वाद ग्रस्त आराजी पर कोई हक अधिकार हासिल नही होते है। वाद पत्र का मद नं0 5 अस्वीकार है। वाद पत्र का मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र कस मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 9 कानूनी है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष

स्वीकार नही है। वादीगण का वाद खारिज योग्य है तथा निम्नलिखित विशेष विवरण मय प्रतिवाद पत्र पेश किया गया।

विशेष विवरण मय प्रतिवाद पत्र

वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात ख0नं0 302 का रकबा 1.74 है0 तथा ख0नं0 494 का रकबा 1.86 है0 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के स्वामित्व व कब्जे काश्त की है। जिस पर प्रतिवादीगण अपने जीवनकाल में अर्थात पिछले 30–35 वर्षो से लगातार स्वयं तथा पाती मुनाफा पर काश्त करते थे तथा करवाते थे। वादीगण का वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर लम्बा कब्जा कभी नही रहा है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी सन् 1949 से कब्जे काश्त वाली बात बिल्कुल असत्य है। निराधार एवं मनधडन्त है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर सन 2001–2002 में वादी बाबूलाल एवं बाबूलाल के भाईयों को दो वर्ष मुनाफा काश्त पर जुपवायी थी लेकिन मुनाफा काश्त की अवधि समाप्त होने के बाद भी वादी बाबूलाल ने सन् 2002 में प्रतिवादीगण को आराजी पर कब्जा नही सम्भलाया और जबरन कब्जा (अतिक्रमण) कर रखा है कब्जा बनाये रखा है बाबूलाल स्वयं वादी क्रम 1 ने प्रतिवादी पाना बाई व राजू से कहा कि हमारे इस वर्ष फसल अच्छी नही होने से काफी नुकसान लग गया है एक दो वर्ष के लिए हमारे मुनाफा काश्त पर जुपवा दो तो मेरा नुकसान पूरा हो जावेगा। वादी क्रम 1 के इस आग्रह पर प्रतिवादी क्रम 1 ने एक वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर जुपवा दी गई। उसके बाद सन् 2002–2003 माह मई जून में प्रतिवादीगण ने वादी क्रम 1 बाबूलाल तथा उसके भाईयों से कब्जा हटाने बाबत् ग्राम बानपुर में उनके घर पर जाकर कहा तो वादी क्रम 1 ने प्रतिवादीगण के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा आराजी पर से कब्जा हटाने से साफ इंकार कर दिया। इस वजह से दिनांक 13.05.2013 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के स्वामित्व व खाते की आराजी पर से कब्जा हटाने से साफ मना करने पर यह वाद कारण पैदा हुआ हैं। वादीगण मात्र अतिक्रमी है। बिना सहायता न्यायालय वादीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैरकानूनी कृत्य से रोका जाना एवं बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया जाना सम्भव नही है। यदि वादीगण ने जबरन दादागिरी के बल बूते पर प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा बनाये रखा तो प्रतिवादीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा प्राप्त हक हकूको से वंचित रहने से क्षति की पूर्ति होना सम्भव नही हो सकेगी तथा प्रतिवादीगण को अनेकानेक वाद विवादो में उलझना पडेगा। अतः प्रतिवादीगण वाद पत्र के मद

नं0 1 मे वर्णित आराजी ख0नं0 302 का रकबा 1.74 है, ख0नं0 494 का रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम व माल बानपुर तहसील अटरू पर से वादीगण को बेदखल करके कब्जा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 को दिलाया जावे तथा वादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रतिवादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे कोई व्यवधान पैदा नही करें। सन् 2003 से बेदखली तक प्रतिवादीगण को वादीगण से 2000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से मुनाफा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। इस हेतु माननीय न्यायालय में प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 अनुसूचित जनजाति के सदस्य है इस वजह से वादीगण को किसी भी प्रकार से कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 42 (B) आर0टी0 एक्ट के प्रावधानों के तहत बाधित होने से खारिज होने योग्य है। प्रतिवाद पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जोन योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 302 का रकबा 1.74 है0, ख0नं0 494 का रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम व माल बानपुर तहसील अटरू पर से बेदखल किये जाकर कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे तथा वादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रतिवादीगण को उनके स्वामित्व की आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे तथा सन् 2003 से बेदखली तक 2000/– रूपये बीघा प्रति वर्ष की दर से वादीगण से प्रतिवादीगण को मुनाफा राशि के रूप में दिलायी जावें।

जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र राजू पुत्र नन्दलाल दिनांक 19.06.2009 (प्रदर्श–D3) दस्तावेज पेश किए गए।

अभिभाषक वादीगण की और से जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 302 का रकबा 1.74 है0 तथा ख0नं0 494 का रकबा 1.86 है0 दर्ज होना स्वीकार है, शेष विवरण अस्वीकार है। प्रतिवाद पत्र की मद नं0 2 का विवरण पूर्ण रूप से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण का आराजी पर कभी कब्जा नही रहा। प्रतिवाद पत्र की मद नं0 3 से मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रतिवाद पत्र का अनुतोष अस्वीकार है तथा निम्नलिखित विशेष कथन पेश किए गए।

विशेष कथन

विवादित आराजीयात को वादीगण अपने पिता के समय से ही लगातार 1949 से जेली काश्त के रूप में निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है जिसे प्रतिवादीगण ने किसी न्यायालय में कभी कोई नही दी है। इस कारण धारा 63 आर0टी0 एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादीगण के हकूक उक्त आराजीयात से समाप्त हो चुके है क्योंकि वह अपनी सकूनत तर्क करके ग्राम नारेडा तहसील बारां में निवास कर रहे है। विवादित आराजीयात पर लगभग 60 वर्षो से वादीगण का कब्जा है, कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी बाई ऑफरेशन ऑफ लॉ वादीगण उक्त आराजी के खातेदार टीनेन्ट हो चुक है। इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है।

अतः जवाब उल जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0नं0 302 की 1.74 है0 व 494 की 1.86 है0 भूमि पर से वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

<u>अधिकार की घोषणा के लिए वाद (धारा 88 आर0टी0 एक्ट) :–</u>

1. अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।
2. खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा।
3. उप अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्व इस घोषणा के लिए कि वह उप अभिधारी है वाद ला सकेगा।
4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भू धारक किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्व ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

<u>अभिधृति के वर्ग आदि के वारे में वाद (धारा 89 आर0टी0 एक्ट) :–</u>

अभिधृति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय अभिधारी या राज्य सरकार से भिन्न भू धारक निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

(क) वर्ग जिसका वह अभिधारी है।

(ख) जोत का क्षेत्रफल, उसके संख्यांकित भूखण्ड या उसकी सीमाएँ।

(ग) जोत के बारे में संदेय लगान और नीति जिससे वह संदेय है।

(घ) लगान के नकद में संदेय होने की दशा में, तारीखे जिन पर और किश्ते जिनमें वह संदेय है।

(ड) लगान के वस्तुरूप में संदेय होने की दशा में, फसलों को आंकने, उनका बंटवारा करने या परिदान करने का समय स्थान और रीति।

(च) गैर खातेदार अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी की दशा में अवधि जिसके लिए अभिधृति जारी रहनी है तथा

(छ) कोई भी विशेष शर्तें जो इस अधिनियम से असंगत नही हों।

अन्य अधिकारों की घोषणा के लिए वाद (धारा 91 आर0टी0 एक्ट) :– विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अपने सब अधिकारों या उनमें से किसी की, जिसके लिए अन्यथा रूप से उपबंध नही है, घोषणा के लिए कोई भी व्यक्ति वाद ला सकेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेशः– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात पर वादीगण पिछले 30–40 वर्षो से काबिज काश्त है इस वजह से लम्बे कब्जे के आधार पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

(वादीगण)

2. आया प्रतिवादीगण जाति से सहरिया है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है इस वजह से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (B) के तहत वादीगण को विवादग्रस्त आराजी पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

(प्रतिवादीगण)

3. आया विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को सन् 2000–2001 में मुनाफा काश्त में दी थी जिसका मुनाफा भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अदा नही किया गया ना ही आराजी पर से कब्जा हटाया गया।

(प्रतिवादीगण)

4. आया वादीगण मात्र अतिक्रमी है इस वजह से प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजी पर से वादीगण को बेदखल करके कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा स्थायी निषेधाज्ञा से वादीगण को पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

(प्रतिवादीगण)

साक्ष्यवादी के तहत Pw1 बाबूलाल पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां, Pw2 कल्याण सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां, Pw3 छीतरलाल पुत्र भैरूलाल जाति बैरवा निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां, Pw5 मोतीलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां के शपथ पत्र पेश किये गये तथा सशपथ बयान दर्ज किये गये तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा जिरह की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी के तहत Dw1 राजूलाल पुत्र नन्दा जाति सहरिया निवासी मोठपुर हाल मुकाम नारेडा तहसील बारां, Dw2 बालमुकुन्द पुत्र गोविन्दलाल जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां, Dw3 छोटूलाल पुत्र सावल जाति सहरिया निवासी नारेडा तहसील अटरू जिला बारां, Dw4 रामकिशन पुत्र बिशनलाल जाति सहरिया निवासी नारेडा तहसील बारां जिला बारां के शपथ पत्र पेश किये गये तथा सशपथ बयान दर्ज किये गये। अभिभाषक वादी श्री द्वारा जिरह की गई।

अभिभाषकगण की बहस सूनी गई। अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम व माल बानपुर तहसील अटरू की विवादित आराजी ख0नं0 302 का रकबा 1.74 है0 व ख0नं0 494 का रकबा 1.86 है0 वादीगण के पिता व पति मन्नालाल के सन् 1949 से जेली काश्त के रूप में दर्ज है तथा मन्नालाल का ही विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा था उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। इस कारण धारा 63 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण के हकूक समाप्त हो चुके है। वादीगण उक्त भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करवाने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- ●किशोरीलाल बनाम किशोरी (2022 RBJ 722) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●रविन्द्र कौर व अन्य बनाम मन्जीत कौर व अन्य (Civil appeal no 7764 of 2014) माननीय सर्वोच्च न्यायालय
- ●स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम झूमारलाल {2024(1)DNJ (Rev.)649} माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●अब्दुल हमीद खान व अन्य बनाम न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर व अन्य (S.B. Civil Writ petition No 4813 of 1995) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय।
- ●नाथू राम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राज0 व अन्य (Revision no 79/Hanumangarh of 2000) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●श्रीमती केसर बाई बनाम राम गोपाल (Appeal no 105/Kota of 82) माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।

अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध किया गया तथा कथन किया कि विवादित आराजीयात ख0नं0 302 का रकबा 1.74 है0 तथा ख0नं0 494 का रकबा 1.86 है0 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के स्वामित्व व कब्जे काश्त की है। जिस पर प्रतिवादीगण अपने जीवनकाल में अर्थात पिछले 30–35 वर्षो से लगातार स्वयं तथा पाती मुनाफा पर काश्त

करते थे तथा करवाते थे। वादीगण का उक्त आराजी पर लम्बा कब्जा कभी नही रहा है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ने विवादित आराजी पर सन 2001–2002 में वादी बाबूलाल एवं बाबूलाल के भाईयों को दो वर्ष मुनाफा काश्त पर जुपवायी थी लेकिन मुनाफा काश्त की अवधि समाप्त होने के बाद भी वादी बाबूलाल ने सन् 2002 में प्रतिवादीगण को आराजी पर कब्जा नही सम्भलाया और जबरन कब्जा (अतिक्रमण) कर रखा है कब्जा बनाये रखा है बाबूलाल स्वयं वादी क्रम 1 ने प्रतिवादी पाना बाई व राजू से कहा कि हमारे इस वर्ष फसल अच्छी नही होने से काफी नुकसान लग गया है एक दो वर्ष के लिए हमारे मुनाफा काश्त पर जुपवा दो तो मेरा नुकसान पूरा हो जावेगा। वादी क्रम 1 के इस आग्रह पर प्रतिवादी क्रम 1 ने एक वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर जुपवा दी गई। अतः वादीगण को उक्त विवादित आराजी से बेदखल कर वादीगण का वाद खारिज किया जाकर कब्जा प्रतिवादीगण को सम्भलाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

- ●लालचन्द व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (Appeal No. 124/Jalore of 2008) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●प्रहलाद बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (S.b. Civil Misc. W.P. Nos. 627, 628. 560/1973) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय
- ●खेमा बनाम काजी लतीफ (Appeal Nos. 315&225/Jaipur of 80) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●भंवरलाल बनाम मांगीलाल व अन्य (Appeal Nos. 64/Kota of 87) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●जेटाराम व अन्य बनाम टेखा व अन्य (Appeal Decree No. 117/Jalore of 2002) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांचोर बनाम धुक्ला व अन्य (2005 (2) RRT 961) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●कैलाश व अन्य बनाम रामखिलाडी व अन्य (Revision no 153/Karauli of 2002) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●भिक्की बनाम गूरे (Appeal Nos. 212/Bharatpur of 77) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।

- ●शौकत अली बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार सरदारशहर (S.B. Civil writ petition No. 13703 of 2020) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●रमेशचन्द बनाम रामकंवर (RBJ (31) 2024) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- ●गिरिराज व अन्य बनाम जमनालाल (RRT 2022) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।

पुनः पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजों, अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों, बहस, अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/जिरह साक्ष्य का अध्ययन कर विवेचन व विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य तनकीवार साबित होते है।

तनकी नं0 1– आया वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात पर वादीगण पिछले 30–40 वर्षो से काबिज काश्त है इस वजह से लम्बे कब्जे के आधार पर वादीगण खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2005–2008 (प्रदर्श–P1) के अनुसार ख0नं0 436 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा में कजोड सहर मोठपुर मु0खा0 74 जेली मन्ना माली के रूप में दर्ज है। खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2001–2004 (प्रदर्श–P2) के अनुसार ख0नं0 734/169 का रकबा 4 बीघा आराजी कजोड सहर मोठपुर जैली नैनगा के रूप में दर्ज है। ख0नं0 735/669 का रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा आराजी कजोड सहर मोठपुर जैली कालू के रूप में दर्ज है। ख0नं0 736/169 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा आराजी कजोड सहर मोठपुर जेली खातेदार के रूप में दर्ज है तथा ख0नं0 170 रकबा 2 बिस्वा पडत दर्ज है। खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2001–2004 (प्रदर्श–P3) के अनुसार ख0नं0 436 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा कजोड सहर मोठपुर जैली गांगोलिया के रूप में दर्ज है तथा ख0नं0 437 रकबा 2 बिस्वा पडत दर्ज है। खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2009–2011 (प्रदर्श–P4) के अनुसार ख0नं0 436 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा कजोड सहर मोठपुर जैली मन्ना माली के रूप दर्ज है। खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत 2009–2011 (प्रदर्श–P5) के अनुसार ख0नं0 736/169 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कजोड सहर मोठपुर जैली मन्ना माली के रूप में दर्ज है तथा ख0नं0 170 रकबा 2 बिस्वा पडत दर्ज है। खसरा टीप मौजा बानपुर सम्वत

2005–2008 (प्रदर्श–P7) के अनुसार ख0नं0 734/169 का रकबा 4 बीघा आराजी कजोड सहर मोठपुर जैली मन्ना माली के रूप में दर्ज है। ख0नं0 735/169 का रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा आराजी कजोड सहर मोठपुर जैली मन्ना माली के रूप में दर्ज है। ख0नं0 736/169 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा आराजी कजोड सहर मोठपुर जेली मन्ना माली के रूप में दर्ज है तथा ख0नं0 170 रकबा 2 बिस्वा पडत दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बानपुर पटवार हल्का खरखडारामलोथान जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 के खाता संख्या नया 126 पुराना 58 के अनुसार ख0नं0 302 रकबा 1.74 है0 व ख0नं0 494 रकबा 1.86 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.60 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 राजू प्रतिवादी क्रम 2 बाबूलाल प्रतिवादी क्रम 3 कमला व प्रतिवादी क्रम 4 संतोष के नाम दर्ज रिकार्ड स्थित है।

उपरोक्त विवरण/तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के दादाजी कजोड का नाम सम्वत 2001 में भी खातेदार के रूप में दर्ज है तथा सम्वत 2005 में कजोड का नाम खातेदारी में दर्ज है तथा जैली मन्ना माली दर्ज है। लगान देने से संबंधित कोई तथ्य साबित करने में वादीगण असफल रहे है तथा कृषक की परिभाषा में स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या सेवकों द्वारा कृषि से पूर्णतया या मुख्यतः अपनी जीविका उपार्जित करता है। धारा 45, 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी पट्टे या उपपट्टे पर भूमि देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाती है जिसके तहत कोटा राज्य के जैली किसान को खातेदारी अधिकार नही दिए जा सकते है। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वार पेश न्यायिक दृष्टांत भंवरलाल बनाम मांगीलाल व अन्य (Appeal Nos. 64/Kota of 87) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अवलोकन के आधार पर एक जैली काश्तकार उपकृषक नही माना जा सकता है। एक जैली व्यक्ति वह होता है जो कि किसी दूसरे खातेदार की जमीन में खेती करता है तथा उसका अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए नियमानुसार खेती करने का होता है।

अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत जेटाराम व अन्य बनाम टेखा व अन्य (Appeal Decree No. 117/Jalore of 2002) न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि किसी भी तरीके से अन्तरित नही की जात सकती है प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है।

धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन लाभ केवल खसरा गिरदावरी की प्रविष्ठियों के आधार पर नही दिया जा सकता है। खातेदारी अधिकारों के लिए धारा 19

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल तत्वों का सिद्व होना आवश्यक है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के दादाजी कजोड जीवन पर्यन्त तथा उनकी मृत्यु के बाद इनके वारिस स्वयं खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड रहे है तथा वादीगण स्वयं को अभिधारी साबित करने में असफल है, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए कोई अभिधारी वाद ला सकता है तथा वादीगण का विवादग्रस्त जोत का अभिधारी (परिभाषा धारा 5 (43) सहपठित धारा 14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) होने की प्रास्थिति साबित करना धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए आवश्यक शर्त है।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर **तनकी नं0 1** का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं0 2– आया प्रतिवादीगण जाति से सहरिया है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है इस वजह से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (B) के तहत वादीगण को विवादग्रस्त आराजी पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (B) के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग में के अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शून्य होगी यदि ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो, या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में हो जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य न हो। नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बानपुर पटवार हल्का खरखडारामलोथान जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 के खाता संख्या नया 126 पुराना 58 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजू पुत्र कमला, सन्तोष पुत्रिया पानाबाई बेवा नन्दा बाबूलाल ना.बा. पुत्र रामपाल ना.बा. की वली पानाबाई दादी जाति सहर खा. मोठपुर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड स्थित है। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा पेश जाति प्रमाण पत्र राजू (राजेन्द्र) दिनांक 19.06.2009 (प्रदर्श–D3) के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की जाति सहरिया है जो कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को प्रदत्त खातेदारी अधिकारों को किसी भी विधि द्वारा कानूनी प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अलावा अन्य जाति के व्यक्ति के पक्ष में नही किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर **तनकी नं0 2** का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व किया जाता है।

तनकी नं0 3– आया विवादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को सन् 2000–2001 में मुनाफा काश्त में दी थी जिसका मुनाफा भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अदा नही किया गया ना ही आराजी पर से कब्जा हटाया गया। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। साक्ष्यप्रतिवादी Dw1 राजूलाल की जिरह के अनुसार इस जमीन को बालमुकुन्द मानपुर वाले को जुपाई थी। पैसे मेरी मम्मी ने लिए थे में उसके साथ गया था तब में 2 साल व 6 माह का था। मुनाफे की लिखा पढी मम्मी ने ही की थी। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो की प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी को वर्ष 2000 से 2001 तक वादीगण को मुनाफा काश्त पर दिया था। वादीगण मुनाफे पर काश्तरत था या जबरन यह साबित नहीं है।

अतः **तनकी नं0 3** आंशिक रूप से ही प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होती है।

तनकी नं0 4– आया वादीगण मात्र अतिक्रमी है इस वजह से प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजी पर से वादीगण को बेदखल करके कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा स्थायी निषेधाज्ञा से वादीगण को पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी नं0 1 व 2 के विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि विवादित आराजी सम्वत 2001 में खातेदार कजोड के दर्ज खाता स्थित थी नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बानपुर पटवार हल्का खरखडारामलोथान जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 के खाता संख्या नया 126 पुराना 58 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 राजू पुत्र कमला, सन्तोष पुत्रिया पानाबाई बेवा नन्दा बाबूलाल ना.बा. पुत्र रामपाल ना.बा.की वली पानाबाई दादी जाति सहर खा. मोठपुर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड स्थित है। अतः वादीगण उक्त आराजी पर रिकोर्डेड खातेदार नही है। तनकी नं0 3 के विवरण व विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो की प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी को वर्ष 2000 से 2001 तक वादीगण को मुनाफा काश्त पर दिया था। वादीगण मुनाफे पर काश्तरत था या जबरन यह साबित नहीं है। विवादित आराजी अनुसूचित जनजाति

समुदाय के सदस्य की है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के तहत प्रतिवादीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

अतः **तनकी नं0 4** प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में ग्राम बानपुर की विवादित आराजी ख0नं0 302 रकबा 1.74 है0 व ख0नं0 494 रकबा 1.86 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.60 है0 आराजी के संबंध में वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में ग्राम बानपुर की विवादित आराजी ख0नं0 302 रकबा 1.74 है0 व ख0नं0 494 रकबा 1.86 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.60 है0 आराजी के संबंध वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **27.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री सुनील कुमार पीपलीवाल (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 90/2007 **दायर दिनांक :–09.07.2007**

उनवान

1. बाबूलाल आयु 55 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
2. रामकरण आयु 36 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
3. छोटूलाल आयु 34 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
4. ओमप्रकाश आयु 32 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
5. बृजमोहन आयु 30 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर
6. पाना बाई पत्नि स्व० मन्नालाल जाति माली निवासी बानपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
7. सीता बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि रामरतन जाति माली निवासी डोबड़ा तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज०)
8. समुद्रा बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि देवलाल जाति माली निवासी मोई कला तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)
9. सहोदरा बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि जगदीश जाति माली निवासी धाकड़ों का मोहल्ला बारां जिला बारां (राज०)
10. लक्ष्मी बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि रामरतन जाति माली निवासी बम्बोरी घाटा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)
11. पारवती बाई पुत्री मन्नालाल पत्नि मन्नालाल पत्नि रामचन्द्र जाति माली निवासी मोई कला तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. राजूलाल पुत्र नन्दा जाति सहरिया निवासी नारेड़ा तहसील बारां जिला बारां
2. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति सहरिया निवासी नारेड़ा (मृतक)

2/1 शारदा उर्फ रसीदा पत्नि स्व० बाबूलाल जाति सहरिया निवासी जगदीशपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

2/2 रक्षित पुत्र बाबूलाल नाबालिग जर्ये वली माता शारदा उर्फ रसीदा पत्नि स्व० बाबूलाल जाति सहरिया निवासी जगदीशपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

3. कमला बाई पुत्री नन्दा पत्नि गुलाबचन्द जाति सहरिया निवासी बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. सन्तोष बाई पुत्री नन्दा पत्नि गंगाराम जाति सहरिया निवासी सोनी दीलोद तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन प्रतिवादी क्रम 1 व 2

विद्वान अभिभाषक श्री ब्रदीलाल नागर प्रतिवादी क्रम 2/1 ता 2/2

विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर गोयल प्रतिवादी क्रम 3 व 4

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम बानपुर की विवादित आराजी ख0नं0 302 रकबा 1.74 है0 व ख0नं0 494 रकबा 1.86 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.60 है0 आराजी के संबंध वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र खारिज किया जाता है।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां
(राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.11.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां
(राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां
(राज0)